ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 66-71

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

उत्तराखण्ड के पर्वतीय गाँवों से पलायन बन रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

1. दिनेश कुमार
2. डॉ0 अपर्णा जोशी

1. असि. प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, शिवहर्ष किसान पी. जी. कॉलेज, बस्ती, एवं शोध अध्येता– गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद 2. प्रोफेसर– प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग, जी0डी0एच0जी0 कॉलेज मुरादाबाद, शोध अध्येता– गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ0प्र0), भारत

Received-12.04.2024, Revised-24.04.2024, Accepted-29.04.2024 E-mail: drcsrathore.agv@gmail.com

सारांशः *उत्तराखण्ड में पर्वतीय और सीमावर्ती गाँव से लगातार पलायन हो रहा है। जिसमें उत्तराखण्ड और राष्ट्र दोनों के लिए न केवल पलायन चिन्ता का विषय है, बल्कि इसके कारण कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरें में नजर आ रही है। यदि सरकार समय रहते इस समस्या को नहीं समझ पायी और इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात कभी–भी भयावह हो सकते हैं। उत्तराखण्ड के वे पहाड़ी गाँव जो चीन और नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, जिनमें देशभक्त नागरिक निवास करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए प्रहरी का कार्य करते हुए सीमा की निगरानी भी करते हैं। पर्वतीय लोग बहुत ही साहसी और निर्भीक होते हैं। इसका उदाहरण हमारी गोरखा बटालियन है। सामान्यतः देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग सेना में अपनी सेवा देना अधिक पसन्द करते हैं। आज नहीं तो कल सरकार को पर्वतीय पलायन के प्रति गंभीर तो होना ही होगा, क्योंकि यह पलायन केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि यह राष्ट्र की सेवा के काम अवश्यक आती है। जिस दिन पहाड़ी समुदाय का पहाड़ से मोहभंग हो गया उस दिन पलायन नासूर बन जायेगा। वापसी की सभी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी। पहाड़ से मोहभंग होने का तात्पर्य है कि पहाड़ निर्जन हो जाएंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रहरी का कार्य कोन करेगा? किसी भी देश के पास इतनी सेना नहीं होती कि चप्पे–चप्पे पर सैनिक खड़ा किया जा सके और अब वह दिन दूर नहीं है, जब पहाड़ी गाँव भुताह गाँव कहलायेंगे। क्योंकि पलायन आयोग की एक रिपोर्ट का कुछ अंश अमर उजाला में छपा जिसको देविंदर शर्मा ने 10 सितम्बर 2018 को अपडेट किया जिसमें बताया गया कि "उत्तराखण्ड की 2011 की जनगणना के अनुसार 1053 गाँव को खाली गाँव की सूची में रखा गया था। इस सूची में पिछले कुछ वर्षों से 734 भुतहा गाँव और जुड़ गये और लगभग पिछले एक दशक में 5.06 लाख लोगों ने पलायन किया है।" उत्तराखण्ड के सीमावर्ती गाँव में विकास की नीति राष्ट्रहित में होनी चाहिए न कि मन को बहलाने और ऐश्वर्य भोगने के लिए। अब सरकार को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ से वृक्षों के कटान को भी गम्भीरता से लेना चाहिए, पॉलीथीन जैसी सामग्री पहाड़ पर जानी ही नहीं चाहिए। पहाड़ों को एक ही झटके में चौकी–सड़क बनाने के लिए डाईनामाइट लगाकर उड़ा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। परन्तु अब जब प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव से कहा है कि "आदि कैलाश के दर्शन कर उनका मन प्रसन्न और जीवन धन हो गया।" यह बात पहाड़ के बहुत काम आने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखण्ड को देव भूमि और यहाँ के कण–कण में देवी–देवताओं का वास बताते हुए पहाड़ के प्रति कुछ बड़ा कार्य करने का मन बन लिया है। पलायन के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। जो व्यक्ति पलायन करता है उसके मन में सदैव एक टीस और अपनी जमीन के प्रति खालीपन रहता है। "पलायन के पीछे मानव में से मानवीयता का खिसकना और संवेदनाओं का मर जाना बड़ी वजह है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी कोई खामी है तो वह है संवेदनाओं की*

कुंजीभूत शब्द– पर्वतीय पलायन, राष्ट सुरक्षा, सीमावर्ती गाँव, पलायन, राष्ट्रीय सुरक्षा, भयावह, देशभक्त नागरिक, गोरखा बटालियन।

देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखण्ड के पर्वतीय गाँवों से हो रहा असमायिक पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया चुनौतीपूर्ण मुद्दा प्रदान कर रहा है। इस रिसर्च पेपर का उद्देश्य इस भयावह समस्या के पीछे के कारणों और इससे संभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन करना है। साथ ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि इस समस्या को केवल पलायन समझने की भूल न की जाये बल्कि भविष्य में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आने वाले खतरे का आगाज समझते हुए इस समस्या का शीघ्र–अतिशीघ्र निदान करने का पूर्ण प्रयास किया जाए।

मुद्दा विश्लेषण– पलायन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की साधारण आवाजाही नहीं है, बल्कि मजबूरीवश उठाया गया कदम है। पलायन के मुख्यतः दो कारक होते हैं– पुश और पुल। पलायन करने वाले व्यक्ति की परिस्थिति या तो इस प्रकार की हो जाती है कि उस स्थान से उसे जबरदस्ती पुश किया जाता है अथवा दूसरा स्थान उसे आकर्षित करता है। वह दूसरे स्थान की चकाचौंध में इतना खो जाता है कि पुनः लौट कर अपने स्थान पर नहीं आता। पर्वतीय पलायन की स्थिति पुश प्रकार की ही लगती है। नहीं तो देव भूमि को छोड़कर कोई कहीं क्यों जाना चाहेगा।

अत्याधिक जटिल भौगोलिक संरचना– दुर्गम पहाड़ों का जीवन पहाड़ जैसा ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। दुर्गम रास्ते और जंगली जानवरो के बीच अपने आप को सकुशल रखने वाले पहाड़ के लोगों के लिए एक–दो नहीं बल्कि अनेक समस्याएं हैं। जिसमें मौसम की मार अथवा दैविय आपदाएँ भी शत्रुवत व्यावहार करती है। बारिश और उसके बाद बाढ़ से भी पहाड़ के लोगों को काफी परेशानियों का सामाना करना, पड़ता है। बादल फटने के कारण भूस्खलन होना पहाड़ का खिसकना बाढ़ और फसलों के ताबाह हो जाने की घटनाएं अन्दर तक कंपा देती हैं। ऊँची–नीची पहाड़ियाँ, पगडण्डियों के रास्ते, दुर्गम चढ़ायी, पीने के पानी की समस्या मीलों पैदल चलकर रोजमर्रा की वस्तुओं को एकत्र करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज 21 वीं सदी में विकसित भारत का सपना जब मोदी जी के नेतृत्व में सफल होने जा रहा है। दूसरी ओर इन दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोग जब मैदानी भागों में आकर महानगरों की चकाचौंध को

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

दंखते हैं और आरामदायक जीवन को भोगते हैं तो फिर उन दुर्गम स्थानों पर वापस नहीं जाते और अपने परिवार को भी बुला लेते हैं। अपनी जन्मभूमि को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, किन्तु मजबूरी ऐसी है कि उन्हें कोई दूसरा मार्ग दिखायी ही नहीं देता और वे पहाड़ जैसी जिन्दगी से छुटकारा पाने के लिए स्थाई पलायन कर जाते है।

आर्थिक दृष्टिकोण– इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का आधार जंगल, कृषिगत भूमि, पशुपालन और पर्यटन है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोग प्रत्यक्ष रूप से जल, जंगल और जमीन से अपना जीविकापार्जन करते है, जबकि पर्यटन बहुत अच्छा धन उपार्जन का साधन है, परन्तु दुर्भाग्य बस इस पर मैदानी एवं धनी लोगों का कब्जा है। स्थानीय गांव के गरीब तो यहां प्रसाद ही बेच सकते है या श्रम का कोई और कार्य करते दिखायी देते है। यहाँ अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है जो पशुपालन एवं फलोत्पादन आदि क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। परन्तु यहाँ की भूमि पथरीली, उबड़–खाबड़ होने के कारण उपजाऊ नहीं है और न ही यहाँ सिंचाई के साधन है। यहाँ कहीं ऊँची चोटी है, तो कहीं गहरी खाई यहाँ का मौसम भी बहुत विषमताओं वाला है कभी धूप तो कभी वर्षा और कभी बाढ़ की मार यहाँ कुछ सीढ़िदार क्यारी बनाकर खेती की भी जाती है, तो जंगली पशु उसे भी नष्ट कर देते है। यहॉ खाने के लिए गेहूँ, चावल, अनाज भी नहीं हो पाता इसका भी आयात करना पड़ता है। जो पहाड़ी गाँव तक जाते–जाते बहुत महँगा हो जाता है। कई ग्रामीणों ने फल, सब्जी व जड़ी–बूटी की खेती को भी अपनी आय का साधन बनाने का प्रयास किया, लेकिन बाजार के आभाव में उन्हें अपनी मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पायी। यहाँ लघु और कुटी उद्योग भी नहीं है और कहीं है भी तो उनकी हालत जर्जर है। रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के कारण युवाओं का मैदानी क्षेत्रों अथवा शहर की ओर जाना लगातार जारी है। गरीबी सबसे बड़ा दुख है। इस पेट की खातिर तथा अपनो के लिए यहाँ का युवा अपनी जन्मभूमि और अपनी संस्कृति दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहॉ से पहले अस्थाई और फिर स्थाई पलायन कर जाता है।

सामाजिक दृष्टिकोण– पर्वतीय गाँव में निवास करने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति भी दैनीय है। हमारे यहाँ एक कहावत है गरीब की बीबी सबकी भाभी होती है और अमीर की बीबी सभी की माँ होती है। यदि किसी लड़के का विवाह नहीं हो पाता है, तो मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है, पहाड़ों से ले आयेंगे। इससे पता चला है कि गरीबी के कारण उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। जिसके कारण यहाँ लड़कियों के वेमेल विवाह भी होते है। हमारे गाँव जलालपुर खालसा पो. तुमड़िया कला जिला मुरादाबाद में दो विवाह तो पहाड़ों से ऐसे हुए है, जिनमें वर की आयु वधु के पिता के लगभग बराबर है। लड़की के माता–पिता गरीबी के कारण इस प्रकार के विवाह के स्वीकृति दे देते है। मैने यह भी देखा कि पहले वह लोग कुछ समय के लिए अपनी रिश्तेदारी में रहने आते है और बार–बार आते–आते यही मैदानी क्षेत्रों में ही अपना कोई रोजगार प्रारम्भ कर देते है। और पहाड़ों से पलायन कर जाते है। पहाड़ी गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी, सुविधाएं भी नहीं है। पलायन के पीछे अच्छी शिक्षा का आभाव भी एक बड़ी वजह रही है राज्य नव निर्माण के बाद भी महानगरों और मैदानी क्षेत्रों में पलायन का सिलसिला रूका नहीं है, बल्कि बढ़ा है। बुनियादी सुविधाओं और उच्च शिक्षा तथा टैक्नीकल शिक्षा के लिए आज गाँव के गाँव खाली हो रहे है।

पलायन का प्रभाव– पर्वतीय पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की साधारण आवाजाही नहीं है, बल्कि मजबूतीवश उठाया गया कदम है। पलायन कैसा भी हो और कहीं भी हो उसका प्रभाव पलायन किये गये व्यक्ति के साथ–साथ उस स्थान पर भी पड़ता है जहाँ से पलायन किया जा रहा है। ऐसे में भला उत्तराखण्ड कैसे अछूता रह सकता है। उत्तराखण्ड में पर्वतीय और सीमावर्ती गाँवों से लगातार पलायन हो रहा है। जिससे उत्तराखण्ड और राष्ट दोनों के लिए ही न सिर्फ पलायन चिन्ता का विषय है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा भी खतरे में नजर आ रही है। पलायन से उत्तराखण्ड की कृषि और पशुओं को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। वातावरण में सन्तुलन बिगड़ने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। पहाड़ियों और वहां की मिट्टी का बढ़ता कटाव बता रहा है कि अब पहाड़ में सब कुछ अस्त–व्यस्त होता जा रहा है। हालांकि सरकार प्रयासरत है मगर वे प्रयास पर्याप्त नजर नहीं आ रहे है।

राष्ट्र सुरक्षा पर प्रभाव– जब हम उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों के पलायन करने की बात कर रहे है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखण्ड की सीमा तिब्बत (चीन) से 345किमी. दूरी तक सटी हुई है, जिसके लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी) पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। यह घटना बेहद गम्भीर है। अब हमारी केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों को अधिक सजग हो जाना चाहिए। उत्तराखण्ड देश का ऐसा प्रदेश है, जो दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलता है। जिसमें पहला नेपाल और दूसरा चीन है यह सीमा रेखा दोनों देशों के साथ 625 किमी0 मिलती है। जग प्रसिद्ध है कि चीन के साथ भारत के सम्बन्ध ठीक नहीं है। चीनी सैनिक लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास करते रहे है। हालांकि उत्तराखण्ड में सीमा पर सतर्कता तो बढ़ा दी गयी है। परन्तु फिर भी विदेशी जासूसों और घुसपैठियों के लिए तमाम स्थान खुले मिल जाते है। जिन्हें स्थानीय नागरिकों की सहायता से ही रोका जा सकता है। नेपाल और पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यह बात सही है कि भारत–चीन सीमा के इस इलाके में अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल मुस्तैदी से चौकन्नी निगाह रखे हुए है। चीन की सीमा से लगे जनपद उत्तरकाशी की नेलांग घाटी समुद्रतल से लगभग चार हजार मीटर की ऊँचाई और अधिकतम तापमान चार डिग्री व न्यूनतम तापमान माइनस दस डिग्री के बीच है। जहाँ भारत–चीन सीमा के इस इलाके में अग्रिम मोर्चे पर तैनात हिमवीरो (भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल) की चौकन्नी निगाहे लगातार लगी रहती है। नेलांग और जाइंग में ग्रामीणों की जमीनों पर सेना और आईटीबीपी ने अपने कैंप बनाये है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील यह क्षेत्र जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 122 किमी., दूर है। यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थिति सेना और आईटीबीपी के जवानों को अधिक सतर्क रहने पर मजबूर करती हैं। यही कारण है कि उत्तरकाशी नगर के पास चिन्याली सैड में हवाई पट्टी पर भी वायु सेना ने विमानों के जरिये कई बार सुरक्षित लैंडिंग और टैंक का अभ्यास किए है। चिन्यालीसैड हवाई पट्टी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह बहधि स्थान है जहाँ

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

वर्ष 1962 में भारत–चीन युद्ध के समय चीन सेना ने घुसपैठ की थी। हालांकि उस समय भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे धकेल दिया था। उस समय सुरक्षा के लिहाज से नेलांग घाटी के नेलांग व जादूंग गांवों को खाली करवा दिया था। यह वह समय था जिससे सबक लेकर खाली कराये गये गाँव भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार कर इतना मजबूत बनाया जा सकता था कि चीनी सैनिकों के लिए भविष्य में घुसपैठ करना सहज नहीं रहता,

मैदानी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव तथा असमान जनसंख्या वितरण– उत्तराखण्ड मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आने वाला राज्य है। इसका मुख्य कारण उबड़–खाबड़ जमीन के चलते कृषि में अवरोध, वर्षा की निम्न व अनियमित मात्रा सिंचाई के लिए जलाभाव है। पर्वतीय पलायन का सीधा प्रभाव उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इस बात का खुलासा पूर्ति विभाग के राशनकार्ड के आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ें बताते हैं कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा के कार्ड धारक कम हुए है। जबकि उद्यमसिंह नगर, नैनिताल और हरिद्वार में इनकी संख्या बढ़ी है।

पलायन का राजनीति भूगोल पर प्रभाव– उत्तराखण्ड में परिसीमन का आधार जनसंख्या है। पलायन के कारण पर्वतीय गाँव खाली हो रहे है, और मैदानी क्षेत्रों और नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो धीरे–धीरे ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व कम हो जाएंगा। उत्तराखण्ड वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से पृथक होकर एक नवीन राज्य बना जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना था। इसलिए उस समय मुरादाबाद, बिजनौर, साहरनपुर और पीलीभीत को उत्तराखण्ड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन 23 वर्ष बाद भी वह उद्देश्य पुरा होता दिखायी नहीं देता देवभूमि उत्तराखण्ड के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों से लगभग 35 फीसदी आबादी अपना पैतृक स्थान छोड़ चुकी है।

9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखण्ड का गठन किया गया तो राज्य के हिस्से में विधान सभा और विधान परिषद को मिलाकर कुल 30 सीट आयीं, जिनमें से 19 पहड़ की थी और 11 मैदानी क्षेत्र की पहली आंतरिम सरकार इसी आधार पर चुनी गई।

2002 में पहला परिसीमन हुआ और राज्य की सीटों को बढ़ाकर 70 कर दिया गया। इस परिसीमन में पहाड़ को 40 और मैदानी क्षेत्र को 30 सीटें मिली थी। उत्तराखण्ड का पहला चुनाव इसी 2002 के परिसीमन को आधार मानकर हुआ 2012 के परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना को माना गया। विधान सभा को लेकर जहाँ मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख की जनसंख्या पर एक विधान सभा माना गया वही पहाड़ों में यह जनसंख्या 85 हजार थी फिर भी इस परिसीमन में पहाड़ की विधन सभा की 6 सीट कम होकर 34 रह गयी और मैदानों की 6 सीट बनकर 36 हो गयी।

वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत कहते है कि उत्तराखण्ड में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार 84.6 प्रतिशत भू–भाग पहाड़ का है तथा 14.4 प्रतिशत भू–भाग मैदानी है। आज स्थिति यह है कि 84.6 प्रतिशत भू–भाग पर 42 प्रतिशत जनसंख्या और 14.4 प्रतिशत मैदानी भू–भाग पर 58 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यदि ऐसा रहा तो एक दिन मैदानी क्षेत्रों का विधानसभा में हिस्सेदारी अधिक हो जाएगी और पर्वतीय क्षेत्रों की कम हो जाएगी इस स्थिति में मैदानी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अधिक हो जाने पर विकास की अधिकांश योजनाएं मैदान में रह जाएंगी और पहाड़ों का विकास अवरूद्ध हो जाएगा परिणाम स्वरूप पलायन की स्थिति और भी भयावय हो जाएगी। "वर्ष 2001–2011"आंकडों के अनुसार, विगत 10 वर्ष में 6338 ग्रामपंचायतों से 3 लाख 83 हजार 726 लोगों ने पलायन किया है, जिसे अस्थायी श्रेणी में रख गया है। यह ग्रामों में एक वर्ष में वापस आ जाते है पर पुनः अपने मैदानी क्षेत्रों में वापसी करते हैं,वहीं 3946 ग्राम पंचायतों को स्थायी पलायन में रखा गया जिसमें 9 लाख 18 हजार 981 लोगों द्वारा पलायन किया गया है। यह वह लोग हैं, जिन्होने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर मैदानो की ओर पलायन कर लिया है और फीर कभी गॉव की ओर नहीं गये। राज्य में पलायन करने वाले अधिकांश युवा 26–35 वर्ष की आयु के हैं, जिनका औसत 42.25 प्रतिशत है।राज्य में रोजगार के लिए 50 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 15 प्रतिशत व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 08 प्रतिशत, जबकि 5 प्रतिशत जंगली जानवरों से तंग होकर पलायन आंका गया है। सरकार द्वारा पलायन को रोकने हेतु 2017 में अयोग का गठन भी किया गया था। साथ ही करोना काल में प्रवासियों के लिए ग्राम स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के दावे किये गये थे, परन्तु गॉव की सूनी सडकें और घरों में पडे ताले, होटलों और कंपनियों में बेरोजगारों की उमड़ती भीड़ इसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं।"[3]

पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि "ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन कृषि, बागवानी और पशुपालन है। सर्वे के अनुसार 45 प्रतिशत लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। रोजगार का दूसरा बड़ा जरिया मनरेगा योजना है। गांवों में योजना से 22 फीसदी लोग रोजगार पा रहे हैं। गांवों में सरकारी नौकरियों में मात्र आठ फीसदी लोग हैं। जबकि नौ फीसदी लोग स्वरोजगार व अन्य साधनों से घर चला रहे हैं। 16 फीसदी ग्रामीण मजदूरी करके आजीविका चला रहे हैं।"[4]

राज्य में अस्थायी पलायन का जिलावार विवरण[5]

जिला	ब्लाक	प्रभावित गांव	लोगों की संख्या
अल्मोड़ा	11	1,080	54,519
टिहरी	09	906	41,389
पौड़ी	15	1,087	29,093
हरिद्वार	04	179	28,087
पिथौरागढ़	08	588	28,716
नैनीताल	08	410	20,863
उत्तरकाशी	06	377	19,649
यूएस नगर	06	191	16,583
चमोली	09	478	18,326
रुद्रप्रयाग	03	300	14,893
बागेश्वर	03	380	14,803
चंपावत	04	263	13,711
देहरादून	06	220	9,309
योग	92	6,438	3,07,310

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

उत्तराखंड के उपरोक्त तालिकानुसार जिलों से आ रही पलायन प्रभवित गांवों की स्थिति न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि अत्यंत भयावह है। कुल 92 ब्लॉकों में 6,436 गांव पलायन की चपेट में आए हैं और एक बड़ी संख्या में 3,07,310 लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन किया है। यह अस्थायी पलायन धीरे–धीरे स्थायी पलायन में बदल रहा है।

राज्य में स्थायी पलायन का जिलावार विवरण6

जिला	ब्लाक	प्रभावित गांव	लोगों की संख्या
अल्मोड़ा	11	407	5,926
टिहरी	09	350	5,653
पौड़ी	15	467	5,474
नैनीताल	06	152	2,014
चमोली	07	151	1,722
पिथौरागढ़	07	173	1,713
चंपावत	03	90	1,588
बागेश्वर	03	93	1,403
हरिद्वार	03	26	1,029
उत्तरकाशी	05	78	900
रुद्रप्रयाग	03	71	715
देहरादून	03	07	312
यूएस नगर	02	02	82
योग	77	2,067	28,531

स्थायी पलायन की रिपोर्टें अत्यंत चौंकाने वाली हैं। स्थायी रूप से पलायन की स्थिति को देखा जाए तो उत्तराखंड में तालिकानुसार जिलों में 77 ब्लॉक पलायन से प्रभावित हैं। जहां 2,067 गांव पलायन के दर्द को सह रहे हैं और 28,531 लोगों की जिन्दगी पलायन की वजह से अस्त–व्यस्त हो गयी है। पलायन की मार झेल रहे ये पीड़ीत लोग अब कभी अपनी जमीन से जुड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल इनके पास नहीं है।

उत्तराखंड में पलायन के तहत कराए गए द्वितीय चरण के सर्वेक्षण की अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वर्ष 2011–18 के मुकाबले वर्ष 2018–22 की रिपोर्ट के तुलनात्मक अध्ययन में राज्य में पलायन में गिरावट देखी गई है। यह राज्य के लिए अच्छे संकेत हैं। राज्य के ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार की दिशा में रुझान बढ़ा है।

3– चरखा Qhpj]https://groundreport.in

4– 2017में गठित पलायन आयोग की रिपोर्ट

5– लेख, ओपन डोर साप्ताहिक, वर्षः 3, अंकः 12,07मई, (पलायन विशेषांक पृ0 13)

6– लेख, ओपन डोर साप्ताहिक, वर्षः 3,अंकः 12,07मई, (पलायन विशेषांक पृ0 13)

पर्वतीय पलायन को रोकने के उपाय– उत्तराखण्ड के पर्वतीय गाँव से पलायन न रूकना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शायद सरकार भी अभी पलायन के वास्तविक कारण और उसके परिणम को समझ नहीं पा रही है। यदि समय रहते इस समस्या को नहीं समझा गया तो स्थिति कभी–भी भयावय हो सकती है। पर्वतीय पलायन को रोकने के लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे और स्थानीय देश भक्त नागरिकों को भी इसके लिए प्रयास करना होगा। वास्तव में यदि सरकार और स्थनीय लोग तथा देश भक्त पूंजीपति चाहे तो पलायन को रोकना असम्भव कार्य भी नहीं है। कठिन अवश्यक दिखायी देता है।

सरकार द्वारा किये गये उपाय– हालांकि उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय पलायन को रोकना राज्य सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। यही कारण है कि अगस्त 2017 में गठित उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने अब अपनी संस्तुतियों पर सम्बंधित विभागों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना शुरू कर दिया गया है। यह बात अलग है कि गम्भीरता से पलायन को रोकने के प्रयास नहीं किये जा रहे है। ऐसा हम इसलिए कह रहे है क्योंकि आयोग को बने लगभग छः वर्ष हो चुके है, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक इस आयोग के पास काम करने वाले पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं है। सरकार अब यह देख रही है कि आयोग बनने के बाद सरकारी तन्त्र पलायन रोकने में कितना कामयाब हुआ है। कोविड काल में जब लोग घर लोटे थे,तब उम्मीद जगी थी कि शायद अब पलायन रुक जाएगा, लेकिन सरकार की उदासीनता ने इस अवसर को भी हाथ से गवां दिया, होना तो यह चाहिए था कि घर लोटे प्रवासियों को गाँव में रोजगार देकर रोकने की कोशिश की जाती। कोविड काल से एक बात तो समझ में आती है कि संकट काल में आपना ही घर याद आता है। और इतने लोगों के घर वापसी से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी की अधिकांश प्रवासियों ने स्थाई रूप से पलायन नहीं किया है अर्थात् अपना घर कहीं दूसरे राज्य अथवा शहर में नहीं बनाया है या उनका अभी पहाड़ और अपनी संकृति से मोह भंग नहीं हुआ है। अभी भी वह अपना स्थाई घर पहाड़ी गाँव को ही समझते है। अतः यह सहज ही पता चलता है कि यदि संकल्प पूर्वक प्रयास किया जाए तो पर्वतीय गाँव से पलायन को रोका जा सकता है। वास्तविकता यह है कि आज नहीं तो कल सरकार को पलायन के प्रति गंभीर होना ही होगा क्योंकि पलायन मात्र क्षेत्रीय न होकर राष्ट्र सुरक्षा से जुडा मुद्दा है। "स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहाड़ों का पानी और जवानी रोकने को एक बड़ी चुनौती एवं अपनी प्राथमिकता माना है और पहाड़ों के ढांचागत विकास पर तीव्र गति से काम करने पर जोर दिया है। उतराखंड रोजगार मेला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा उतराखंड के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

युवा अपने सेवा भाव से अपने राज्य और राष्ट्र मे विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान दें। अब पहाड़ों का पानी और जवानी दोनों ही पहाड़ों के कम आएंगे। पहाड़ों के पानी का संचय कर समान वितरण के लिए राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें प्रतिबद्ध है।"[7]

पलायन आयोग ने अपने प्रारंभिक सर्वे के बाद वर्ष 2018 में पाया कि रिपोर्ट के अनुसार "3946 गाँव से 118981 व्यक्तियों ने र्स्थाइ रूप से पलायन किया, जबकि 6338 गाँव से 383626 व्यक्तियों ने अस्थाई रूप से गाँव को छोड़ा 1702 गाँव ऐसे है जो पूरी तरह से जनविहीन हो चुके हैं।"[8] इनके अलावा सैकड़ो गाँव ऐसे हैं, जिनमें जनसंख्या बेहद कम रह गयी है। इस रिपोर्ट को सौंपते हुए आयोग ने पलायन को रोकने के लिए संतुतियां भी दी थी जिनमें मुख्य रूप से मूलभूत सुविधओं का विस्तार करके गाँव में ही पर्यटन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। जिसके बाद सरकार ने 100 से अधिक गाँव के लिए कार्य योजना तैयार की थी। यह योजना उन गाँव के लिए थी जहाँ से 30 फीसदी से अधिक लोग पलायन कर गये हो। जबकि यह योजना सभी गाँव के लिए होनी चाहिए थी। पहाड़ को स्वीटजरलैंड बनाने का सपना देखने वाले लोग आज अपनों से भी निराश हैं जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड के लोगों ने घर से निकलकर आन्दोलन किया था आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पलायन को नासूर बनने से पूर्व प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्रीय सरकार को भी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कारगार योजना बनानी होगी। संसाधनों की उपलब्धता के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष कॉरीडोर बनाकर गाँव और उसके निवासियों को रोजगार से जोड़ना होगा। उचित रोजगारोन्मुख व शैक्षणिक वातावरण सीमावर्ती ग्रामीणों में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। बाढ़ जैसी दैवीय अपदाओं से सुरक्षा के इन्तजाम किसी भी सूरत में करने ही होंगे।

7– पहाडों से पलायन,निमीषा सिंह, ओपन डोर, वर्षः 3,अंकः12,07 मई पलायन विशेषांक, पृ0 15

8– उत्तराखण्ड आयोग के प्रारंभिक सर्वे के बाद वर्ष 2018 की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजनाः– मनीषा पंवार अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के दिशा–निर्देशन के सम्बन्ध में एक पत्र 11 सितम्बर 2020 को प्रेषित किया गया। इसके कुछ बिन्दु निम्नांकित है :

1. पलायन आयोग द्वारा हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष जनपदों में 474 राजस्व गांव चिह्नित किये गये जहाँ से पलायन 50 फीसदी हुआ था।
2. 50 फीसदी पलायन प्रभावित गाँव में आवासित परिवारों, बेरोजगारों युवाओं, रिवर्स माइग्रेट्स को स्वरोजगार, कृषि उद्यान, पशुपालन और कौशल विकास की योजनाएं उपलब्ध करना।
3. पलायन प्रभावित चिह्नित गाँव भविष्य में वे गॉव भी आच्छादित किये जायेंगे जो पलायन से प्रभावित हो।
4. स्वरोजगार युक्त कौशल विकास, कृषि, उद्यान व पशुपालन स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षण उत्तराखण्ड में पलायन को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से व्यापक कार्य योजना : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य से पलायन को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से व्यापक कार्य योजना बनायी गयी। जिसके कुछ बिन्दु निम्न लिखित है :

1. पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा।
2. लोगों की आजीविका कृषि के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा
3. उद्योग, पर्यटन, कृषि, बागवानी को बढ़ावा।
4. रिवर्स पलायन कर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ ही अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।
5. पलायन को रोकने के लिए गाँव की केन्द्रित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये।
6. केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का आम जन को पुरा लाभ मिल।

आयोग के सदस्य दिनेश सिंह रावत ने सुझाव दिया कि कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जंगली जानवरों से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाये करने होंगे।

आयोग के सदस्य सुरेश सुयाल ने सुझाव दिया कि गांव में किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ना होगा।

–राम प्रकाश पैन्यूली ने सुझाव दिया कि "चार धाम यात्रा मार्गों पर प्राचीन मंदिरों को भी जोड़ने की जरूरत है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी बनाने होंगे।"

–रंजना रावत ने सुझाव दिया कि "पर्वतीय क्षेत्रो में (एम.एस.एम.ई.) को बढ़ावा देना हेागा कृषकों को समय पर उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हो वे कही से भी उच्च गुणवत्ता युक्त बीज ले तो उनहें सब्सिडी समय से मिल जाए।"

–अनिल शाही ने कहा कि "सीमान्त क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सीमान्त दर्शन योजना शुरू करने की दिशा में विचार करना होगा।"

उत्तराखण्ड के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र से पलायन को रोकने के लिए अन्य उपाय :

1. सर्वप्रथम तो वह लोग जिन्हें पलायन को रोकने की जिम्मेदारी सरकार द्वारा दी जाती हैं। वह ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा पूर्वक राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत होकर अपने कत्तव्यों का पालन करे।
2. सरकार योजनाएं तो बना दी जाती है लेकिन उसका उपयोग वास्तविक उपभोक्ता कर रहा है या नहीं उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

3. बहुत–सी योजनाएं तो केवल कागजों में ही रह जाती है और कुछ योजनाएं धरातल पर लागू भी होती है तो उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वह आम व्यक्ति भी समझ से परे होती है या उसे इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती।
4. ऑकड़े तो बहुत एकत्र हो चुके अब इस समस्या को रोकने के लिए धरातल पर कार्य करना होगा।
5. होम–स्टे को बढ़ावा दिया जाए साथ ही होर्टिकल्चर के कर्मचारियों को गाँव में पोसि्ंटग दी जाए।
6. मसरुम की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि इसके लिए ठंडी जलवायु और घास–फूस के घर की आवश्यकता होती है।
7. फूलो की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए।
8. जड़ी–बूटियाँ की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए।
9. बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाए।
10. पर्यटन में स्थानिय निवासियों के हितों का ध्यान रखा जाए।
11. सभी उत्पादित वस्तुओं को सरकार द्वारा उचित दामों पर खरीदा जाए।
12. गाँव में सरकारी दुकाने खोली जाए उनकी उत्पादित वस्तुओं को तो खरीदा ही जाए साथ ही दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाए।
13. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों में भर्ती करते समय यह निर्देशित किया जाए, कि वह अपनी सम्पूर्ण सेवा दुर्गम स्थानों पर ही देंगे, होता यह है कि जब लोग नौकरी पाते है, तो कहीं भी जाने को तैयार हो जाते है। फिर भाई–भतीजावाद, अधिकारियों से साँठ–गाँठ करके सुगम स्थानों पर अपना स्थानांतरण करा लेते है और पर्वतीय गाँव फिर वीरान ही रह जाते है। सथ ही अधिकारियों की साँठ–गाँठ तथा सुगम स्थान पर आने के लिए वह दौड़–भाग करता हैं और अपना कार्य निष्ठा पूर्वक नहीं कर पाता।
14. पर्वतीय गाँव में जहाँ तक हो सके वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पदों को सुरक्षित किया जाए।

निष्कर्षतः– हमारे देश की उत्तर सीमा की रक्षा के लिए पहाड़ अडिग खड़े है। मगर उन पर रहने वाले हमारे स्थाई सैनिक (नागरिक) मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव के कारण मैदानी एवं शहरी क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर हो रहे है। कोई भी अपनी जन्मभूमि और संस्कृति को यूं ही नहीं छोड़ता। सरकार को यह तो समझ ही जाना चाहिए कि आखिर पर्वतीय गाँव का निवासी इतना मजबूर और असहाय क्यों हैं? वरना यह पलायन की समस्या देश के लिए नासूर बन जाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है। दुश्मन सैनिक लगातार घुसपैठ का प्रयास करते रहे हैं, जिनकी निगरानी के लिए हमारे पास उतने सैनिक नहीं है कि चप्पे–चप्पे पर खड़ा किया जा सके मगर हमारे सीमावर्ती नागरिक एक प्रहरी की तरह बहुत ही अच्छी तरह से और पूर्ण निष्ठा के साथ इस कार्य को करते रहे है। वैसे भी राष्ट्र की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरी हैं। यदि सरकार को पर्वतीय गाँव के लिए अलग से बजट बनाने की आवश्यकता हो तो वह भी कहना चाहिए, वैसे भी हम सेना पर तो खर्च करते ही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Kuksal, tihari (2012) उत्तराखण्ड का पर्वतीय समाज और बदलता आर्थिक परिदृश्य samaya sakshaya prakshan.
2. pandey (2020) पलायन पीड़ा प्रेरणा JVP Publication PVT Ltd.
3. Ranjan Goswami (2019) पलायन Publisher:Rajmangal Publishers.
4. https://www.Jagran.com/uttarakhand tawang clash uttarakhand.
5. https://www/jagran.com/uttarakhand/dehradun city migration from mountain areend.
6. https://wwwhindi.asianatrews.coms/uttarpradesh/dehradun migration from mountain area.
7. https://www.devbhoominsdider.com/view/news/rysk2jR2au8jRszndntT/2.
8. https://www.navjivanindia.com/news/heavy-rain-from-mountain-to-lain-cloudburst.
9. https://www.amarujala:com/dehradun-city/Dehradun-59586-11.

*****